# मुख्यालय पुलिस महानिदेश उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याःडीजी–आठ–156 /2020(4) दिनांकः अक्टूबर 08 ,2020

सेवा में,

**समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक**
**उत्तराखण्ड।**

**विषयः–** अग्निशमन एवं आपात सेवा की विभागीय वैबसाईट www.ukfireservices.com पर आनॅलाईन प्राप्त होने वाले अग्निशमन अनापत्ति सम्बन्धी आवेदनों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उत्तराखण्ड शासन ने अपने पत्र संख्याः34/XX-4/2020–01 (फायर)/2016 दिनाँक 01–10–2020 के द्वारा अध्यक्ष उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र दिनाँक 27–08–2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुये अवगत कराया है, कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण **दिनांक 22.03.2020 से 03.05.2020** तक सम्पूर्ण देश एवं उत्तराखण्ड राज्य में लॉकडाउन होने के फलस्वरूप अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग से सम्बन्धित निर्गत किये जाने वाले अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि में वृद्धि किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

निदेशानुसार उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनाँक 27–04–2020 के द्वारा उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग से सम्बन्धित निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण किये जाने की वैधता अवधि माह मार्च 2020 से दिनाँक 30–06–2020 तक बढायी गयी थी। वर्तमान में भी कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये **उक्त अवधि को दिनाँक 01–07–2020 से दिनाँक 31.03.2021 तक बढायी जाती है।** तद्नुसार अपने अधीनस्थ मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

8/10/2020

(एन0एस0 नपलच्याल)
पुलिस उपमहानिरीक्षक
अग्निशमन एवं आपात सेवा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपिः–समस्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य को अनुपालनार्थ।

Scanned with CamScanner